न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर जोधपुर (ग्रामीण)
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. :– 20 / 2024
जीसीएमएस नम्बर :– 2024 / 43

अपीलार्थी :–
मनोहरलाल मोसल्पुरी पुत्र कुम्भाराम, जाति जटिया, निवासी बी–114, प्रथम विस्तार, ई.एस.आई. अस्पताल के सामने, कमला नेहरू नगर, जोधपुर।

बनाम

प्रत्यर्थीगण :–
1. कमलादेवी पत्नी प्रेमसुख
2. जसराज पुत्र प्रेमसुख
3. मोहनलाल पुत्र प्रेमसुख
4. पुष्पा पुत्री प्रेमसुख
5. मोहनीदेवी पुत्री प्रेमसुख
   जातियान् जटिया, निवासीगण भोपालगढ़, तहसील भोपालगढ़, जिला जोधपुर।
6. तहसीलदार भोपालगढ़ जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 46 ग्राम भंवरियानगर जो दिनांक 14.05.2022 को तहसीलदार भोपालगढ़ द्वारा स्वीकार किया गया।

––––

उपस्थिति :–
1. अधिवक्ता श्री बाबूलाल विश्नोई (अपीलार्थी)।
2. अधिवक्ता श्री जगदीश विश्नोई (प्रत्यर्थी संख्या 01 ता 05)।

–: आदेश :– दिनांक :– 16.05.2024

अपीलार्थी ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 नामान्तरकरण संख्या 46 ग्राम भंवरियानगर जो दिनांक 14.05.2022 को तहसीलदार भोपालगढ़ द्वारा स्वीकार किया गया, के विरूद्ध पेश की है। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम भंवरियानगर (सुरपुराखुर्द) की सरहद में प्रेमसुख के खातेदारी, कब्जे व काश्त की भूमि खसरा नम्बर 747 रकबा 3.658 हैक्टेयर व खसरा संख्या 933 रकबा 6.

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.07.22 16:39:03 IST
Reason: SelfAttested

4426 हैक्टयर आई हुई है। उक्त भूमि का बेचाननामा स्व0 प्रेमसुख के द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में दिनांक 01.06.1992 को निष्पादित कर दिया जो उपपंजीयक भोपालगढ़ के कार्यालय में उसी रोज पंजीबद्ध कर दिया गया। अपीलार्थी ने उक्त बेचाननामें की प्रति हल्का पटवारी को नामान्तरकरण की कार्यवाही हेतु दी जिस पर हल्का पटवारी ने अपीलार्थी को आश्वस्त कर दिया कि आपका नामान्तरकरण भर देगे एवं अपीलार्थी अपने व्यवसाय से भोपालगढ़ से बाहर आ गया। हाल ही में अपनी भूमि के विकास कार्य करवाने हेतु जमाबन्दी की नकल प्राप्त की तो पता लगा कि उक्त भूमि का नामान्तरकरण प्रेमसुख के वारिसान् ने अपने नाम करवा लिया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रत्यर्थी संख्या 01 से 05 की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश विश्नोई ने वकालतनामा पेश किया। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस दिनांक 09.05.2024 को सुनी जाकर पत्रावली दिनाांक 16.05.2024 को आदेश हेतु रखी गई।

प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में बतलाया कि प्रार्थी द्वारा हाल ही में दिनांक 17.02.2024 को ई–मित्र पर जमाबन्दी की नकल निकलवाई तो ज्ञात हुआ कि विवादग्रस्त भूमि का नामान्तरकरण प्रेमसुख के वारिसान् के नाम हो गया है, तब हल्का पटवारी से नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रति मिलने पर ज्ञात हुआ की अपीलाधीन नामान्तरकरण के जरिये अप्रार्थी संख्या 1 से 5 का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया गया। अतः प्रार्थी को सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 17.02.2024 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत कर दी गई तथा अपील पेश करने में जो देरी हुई है वो माकुल व सद्भाविक होने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर अपील में हुए विलम्ब को माफ करने की प्रार्थना की।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने गुणावगुण बहस में बतलाया कि ग्राम भंवरियानगर (सुरपुराखुर्द) की सरहद में प्रेमसुख के खातेदारी, कब्जे व काश्त की भूमि खसरा नम्बर 747 रकबा 3.6584 हैक्टयर व खसरा संख्या 933 रकबा 6.4426 हैक्टयर आई हुई है। उक्त भूमि का बेचाननामा स्व0

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.07.22 16:39:03 IST
Reason: SelfAttested

प्रेमसुख द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में दिनांक 01.06.1992 को निष्पादित कर दिया जो उपपंजीयक भोपालगढ़ के कार्यालय में उसी रोज पंजीबद्ध कर दिया गया लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 से 5 ने प्रेमसुख के फौत होने पर अपने नाम नामान्तरकरण दर्ज करवा लिया जबकि स्व0 प्रेमसुख ने जीवित रहते उक्त आराजी जरिये रजिस्टर्ड विक्रेय विलेख के अपीलार्थी को बेचान कर दी इसलिए अपीलाधीन नामान्तरकरण विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

प्रत्यर्थी संख्या 01 से 05 के अधिवक्ता श्री जगदीश विश्नोई ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का कोई जवाब पेश नहीं किया और न ही इस बाबत् मौखिक उजर एतराज किया। प्रत्यर्थी संख्या 01 से 05 के अधिवक्ता ने भी अपीलाधीन नामान्तरकरण को निरस्त कर बेचाननामा के अनुसार नामान्तरकरण करने के लिए सहमति दी।

हमने उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का भी अवलोकन किया। अपील का निस्तारण करने से पूर्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपील पेश करने में जो देरी के कारण बतलाए गए है वह सद्भाविक होने से तथा अप्रार्थी संख्या 01 से 05 के द्वारा किसी प्रकार का उजर एतराज नहीं करने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपील का गुणावगुण पर निर्णय इस प्रकार है कि प्रकरण में यह तथ्य निर्विवादित है कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 01 से 05 के पिता स्व0 प्रेमसुख से जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा जो उप पंजीयक भोपालगढ़ में दिनांक 01.06.1992 को पंजीबद्ध है के द्वारा ग्राम भंवरियानगर तहसील भोपालगढ की खसरा संख्या 747 रकबा 3.6584 हैक्टयर व खसरा संख्या 933 रकबा 6.4426 भूमि खरीद की गई लेकिन पटवारी हल्का द्वारा प्रेमसुख के फौत होने पर उनके वारिसानों के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया गया जबकि स्व0 प्रेमसुख ने अपने जीवनकाल में उक्त आराजी का बेचान अपीलार्थी को कर दिया था।

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.07.22 16:39:03 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 46 ग्राम भंवरियानगर जो दिनांक 14.05.2022 को तहसीलदार भोपालगढ़ द्वारा स्वीकार किया गया, को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार भोपालगढ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलार्थी के पक्ष में स्व0 प्रेमसुख के द्वारा निष्पादित बेचानानामा जो दिनांक 01.06.1992 को उपपंजीयक भोपालगढ़ के कार्यालय में पंजीबद्ध है कि जांच कर उसके अनुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सीमा कविया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
जोधपुर (ग्रामीण)

आदेश आज दिनांक 16.05.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सीमा कविया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
जोधपुर (ग्रामीण)

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.07.22 16:39:03 IST
Reason: SelfAttested